न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 09/2012

1 पृथ्वीसिंह आयु 58 वर्ष पुत्र स्व. मालाराम
2 पवन कुमार आयु 44 वर्ष स्व. मालाराम जाति माली पेशा खेती निवासी मालियों की ढाणी तन दोरासर तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)

अपीलांट

बनाम

1 मृतक झाबरमल पुत्र स्व. मानाराम जाति माली निवासी बाजी वाली ढाणी तन बड़ागांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू 'नोट– दौराने अपील दिनांक 06.02.2014 को देहान्त हो गया।'
1/1 मृतक मनोहरलाल पुत्र स्व. झाबरमल जाति माली निवासी बाजी वाली ढाणी तन बड़ागांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू 'नोट– दौराने अपील दिनांक 29.10.2020 को देहान्त हो गया।'
1/1/1 मृतका श्रीमती भागोती पत्नी स्व. मनोहरलाल जाति माली निवासी बाजी वाली ढाणी तन बड़ागांव उप तहसील गुढ़ागौड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू 'नोट– दौराने अपील दिनांक 23.03.2021 को देहान्त हो गया।'
1/1/2 गोकुल आयु 45 वर्ष पुत्र स्व. मनोहरलाल
1/1/3 प्रकाश आयु 39 वर्ष पुत्र स्व. मनोहरलाल
1/1/4 सुभाष आयु 35 वर्ष पुत्र स्व मनोहरलाल जाति माली निवासी बाजी वाली ढाणी तन बड़ागांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
1/1/5 श्रीमती सरोज आयु 42 वर्ष पुत्री स्व. मनोहरलाल पत्नी मंगतुराम जाति माली निवासी झीपियों का मोहल्ला, गणेश मन्दिर के पास झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।
1/2 रामकरण आयु 69 वर्ष

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

1/3 रामजीलाल आयु 67 वर्ष
1/4 हरिसिंह आयु 61 वर्ष
1/5 रामसिंह आयु 56 वर्ष पुत्रगण स्व झाबरमल जाति माली निवासी बाजी वाली ढाणी तन बड़गांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
1/6 मृतक सांवरमल पुत्र स्व. झाबरमल जाति माली निवासी बाजी वाली ढाणी तन बड़ागांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू 'नोट– दौराने अपील दिनांक 22.11.2020 को देहान्त हो गया।'
1/6/1 श्रीमती मोहरा आयु 55 वर्ष पत्नी स्व. सांवरमल
1/6/2 चन्दन आयु 34 वर्ष पुत्र स्व. सांवरमल जाति माली निवासी बाजी वाली ढाणी तन बड़ागांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
1/6/3 श्रीमती ममता आयु 32 वर्ष पुत्री स्व सांवरमल पत्नी सुभाष जाति माली निवासी फिरास की ढाणी तन खुडाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
1/6/4 श्रीमती पुनम आयु 30 वर्ष पुत्री स्व. सांवरमल पत्नी महेश जाति माली निवासी फिरास की ढाणी तन खुडाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
1/6/5 श्रीमती पार्वती आयु 25 वर्ष पुत्री स्व. सांवरमल पत्नी सुभाष जाति माली निवासी इलोकड़ी की ढाणी तन बुडानियां तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
1/7 श्रवण कुमार उर्फ नानुराम 47 वर्ष पुत्र स्व. झाबरमल जाति माली निवासी बाजी वाली ढाणी तन बड़ागांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
1/8 श्रीमती सन्तरा देवी आयु 60 वर्ष पुत्री स्व. झाबरमल पत्नी सोहनलाल जाति माली निवासी मुनका की ढाणी चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
1/9 श्रीमती अंजु आयु 52 वर्ष पुत्री स्व. झाबरमल पत्नी लालचन्द जाति माली निवासी बीडादास की ढाणी तन कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू हाल निवासी हैपी आर्डस एकेडमी विज्ञान नगर झुन्झुनू (राज.)।
1/10 महेन्द्र आयु 62 वर्ष पुत्र रामकुमार जाति माली निवासी बीडादास की ढाणी तन कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

3

1/11 श्रीमती सुधादेवी पुत्री महेन्द्र पत्नी सुरेशकुमार जाति माली निवासी पुलिस लाईन रोड़ रेलवे फाटक नम्बर 2 पुरोहितों की ढाणी जाजमनगर सीकर तहसील व जिला सीकर (राज.)

1/12 श्रीमती प्रेमलता उर्फ श्रीमती ललिता पुत्री महेन्द्र पत्नी विनोदकुमार जाति माली निवासी केशला कुआ उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

1/13 निर्मल पुत्र महेन्द्र

1/14 मु. हेमलता पुत्री महेन्द्र जाति माली निवासी बीडादास की ढाणी तन कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

2 महावीर सिंह पुत्र स्व. रामकुमार

3 सांवरसिंह पुत्र स्व रामकुमार जाति दारोगा निवासी बड़ागांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

4 मृतक बलुराम पुत्र स्व. मानाराम जाति माली निवासी उतरासर तहसील व जिला झुन्झुनू 'नोट– दौराने अपील दिनांक 25.11.2012 को देहान्त हो गया।'

4/1 सुण्डाराम आयु 68 वर्ष पुत्र स्व बल्लुराम

4/2 रामजीलाल आयु 65 वर्ष पुत्र स्व. बल्लुराम

4/3 कुम्भाराम आयु 51 साल पुत्र स्व. बल्लुराम

5 मृतक बीरबल वर्ष पुत्र स्व. मानाराम जाति माली निवासी बाजी वाली ढाणी तन बड़गांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू नोट– 'दौराने अपील दिनांक 17.09.2019 को देहान्त हो गया।'

5/1 जगदीश आयु 58 वर्ष पुत्र स्व. बीरबल

5/2 राजेन्द्र आयु 49 वर्ष पुत्र स्व. बीरबल

5/3 बुंटीराम आयु 45 वर्ष पुत्र स्व. बीरबल समस्त जाति माली निवासी बाजीवाली ढाणी तन बड़गांव उप तहसील गुढागौड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

5/4 श्रीमती रूकमणी आयु 62 वर्ष पुत्री स्व. बीरबल पत्नी त्रिलोक जाति माली निवासी काली पहाड़ी का बास तहसील व जिला झुन्झुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

5/5 श्रीमती गिनीया देवी आयु 53 वर्ष पुत्री स्व. बीरबल पत्नी कैलाशचन्द्र जाति माली निवासी इस्लामपुर तहसील व जिला झुन्झुनू।

6 महावीर आयु करीब 77 वर्ष पुत्र स्व. मानाराम

7 चन्दगीराम आयु करीब 74 वर्ष पुत्र स्व. मानाराम निवासी बाजीवाली ढाणी तन बड़ागांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

8 मृतक प्रताप पुत्र स्व. मानाराम जाति माली निवासी बाजी वाली ढाणी तन बड़ागांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू 'नोट– दौरान अपील दिनांक 06. 02.2014 को देहान्त हो गया।'

8/1 श्रीमती कमला देवी आयु 65 वर्ष पत्नी स्व. प्रताप

8/2 देबुराम आयु 41 वर्ष पुत्र स्व. प्रताप

8/3 सुमेर आयु 35 वर्ष पुत्र स्व. प्रताप

8/4 विनोद कुमार आयु 31 वर्ष पुत्र स्व. प्रताप समस्त जाति माली निवासी बाजीवाली ढाणी तन बड़ागांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

8/5 श्रीमती सुमन आयु 38 वर्ष पुत्री स्व. प्रताप पत्नी जयसिंह जाति माली निवासी दान जी की ढाणी तन सुलताना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

8/6 श्रीमती सुनिता आयु 32 वर्ष पुत्री स्व. प्रताप पत्नी भागीरथ जाति माली निवासी नीम की ढाणी तन अशोक नगर तहसील व जिला झुन्झुनूं।

9 नागर आयु करीब 67 वर्ष पुत्र स्व. मानाराम जाति माली निवासी बाजीवाली ढाणी तन बड़ागांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

10 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील झुन्झुनूं।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

5

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू दिनांक 12.08.2004 दावा उनवानी झाबरमल बनाम महावीर सिंह आदि दावा घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा व बंटवारा दावा संख्या 71/2002

उपस्थिति :

1. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री उम्मेदराज सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 10·6·24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 71/2002 में पारित निर्णय दिनांक 12.08.2004 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। प्रस्तुत अपील में धारा 5 पर उभयपक्ष को सुना गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि दावे के समनों की तामील आवेदकगण पर नहीं हुई थी। आवेदकगण ने सम्मनों की तामील न होने के कारण किसी को अभिभाषक भी नियुक्त नहीं किया था। अनावेदकगण नम्बर 1 व 3 से 9 ने साजिस कर गलत रूप से अन्य व्यक्ति से आवेदक पृथ्वीसिंह का अभिभाषक पत्र पेश करवाया व एक तरफा निर्णय व डिक्री प्राप्त कर ली। आवेदकगण के सम्मन दिनांक 11.11.2002 की पेशी के मिसल लगे हुये है उन समनों में यह अंकन नहीं है कि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर. (कैम्प झुन्झुनूं)

दावे की प्रति साथ हो। आदेश 05 नियम 2 सीपीसी के मुताबिक दावे के सम्मन के साथ दावे की प्रति होना आवश्यक है। तामील कुलिन्दा की यह रिपोर्ट नहीं है कि दावे की प्रति दी हो। तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट भी ना शपथपूर्वक है और न ही रिपोर्ट में यह अंकन किया गया कि किस प्रकार तामील कार्यवाही की गई यह भी अंकन नहीं है कि आवेदकगण को तामील कुनिन्दा जानता हो। यह भी अंकित नहीं है कि आवेदकगण की जानकारी किसने की इस प्रकार दिनांक 11.11.2002 की पेशी के सम्मन अपीलान्टस को नही मिले न अपीलान्टस/प्रतिवादीगण नम्बर 3 व 4 की तामील हुई। इस कारण अपीलान्टस नम्बर 1 व 2 के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही का आदेश गलत पारित किया गया। अपीलान्टस को निर्णय व डिक्री दिनांक 12.08.2004 की पहले जानकारी नहीं थी। दिनांक 11.01.2012 को आवेदकगण ने विवादित जमीन की प्रमाणित प्रतिलिपि तहसील झुन्झुनू से किसान कार्ड बनवाने के लिये प्राप्त की जिसमें अनावेदक नम्बर 1 के नाम का अंकन होना पाया गया। जिस पर अनावेदक नम्बर 1 के नाम की नामान्तकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदक को दिनांक 17.01.2012 को मिली जिसमें निर्णय व डिक्री का अंकन मिला। इस पर दिनांक 17.01.2012 को निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने पर निर्णय व डिक्री दिनांक 12.08.2004 की जानकारी हुई। इससे पहले जानकारी नहीं थी इसके अलावा अभिभाषकगण का कार्य स्थगन चल रहा था। निर्णय व डिक्री दिनांक 12.08.2004 अवैध होने से शून्य है इस कारण आवेदकगण को दफा 5 मियाद अधिनियम का लाभ दिया जाकर अपील अपीलान्टस अन्दर मियाद समाहत फरमाई जावें। विधि विरूद्ध निर्णय के लिये मियाद नहीं होती है। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता ने मेमो पेश किया हैं। इस पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसी स्थिति में मियाद लागु नहीं होती है। प्रकरण का निस्तारण तकनीकी आधार पर नहीं कर गुणावगुण पर करने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए मियाद के बिन्दु पर उदार रूख अपनाना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में राजस्थान टिनेन्सी (गर्वनमेन्ट) (अमेन्डमेन्ट) नियम 1998 नियम 24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

डीडीडीडी, राजस्थान टिनेन्सी (गर्वनमेन्ट) नियम 1955 के नियम 24 डीडीडीडी, बेनामी ट्रान्जेक्शन (प्रोहिबिशन) एक्ट 1988 धारा 4, आरआरडी 2013 (एचसी) पेज 701, आरआरटी 2018–19(सप्ली.) पेज 145, आरएलडब्ल्यू 1997 (1) एचसी पेज 650, आरएलडब्ल्यू 2018(2) एससी पेज 1621, आरबीजे 2023 एससी पेज 667, आरबीजे 2018 एससी पेज 42, 372, डीएनजे 2015 एससी पेज 592 बी, आरएलडब्ल्यू 2006 (4) एचसी पेज 2865 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के रूप में दर्ज है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को दिनांक 03.10.2002 को दिनांक 11.11. 2002 के लिए नोटिस जारी किये गये है। दोनों नोटिसों की तामील प्रतिवादी संख्या 3 व 4 पर करवाई गई है। नोटिसों की पुश्त पर प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के हस्ताक्षर है। इस तामील के नीचे तामील कुनिन्दा ने हस्ताक्षर कर दिनांक 29.10.2002 की तिथि अंकित की है। विचारण न्यायालय में दिनांक 11. 11.2002 को प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से अमरसिंह चौधरी अधिवक्ता उपस्थित हुये है। इनके द्वारा पृथ्वीसिंह का वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है एवं पवन कुमार का वकालतनामा प्रस्तुत करने के लिए अवसर चाहा गया है। दिनांक 07.07.2004 को प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। स्पष्ट है कि अपीलांट को दिनांक 29.10.2002 से विचाराधीन प्रकरण की जानकारी होना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। अपील खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे 2022(1) रेव पेज 374, डीएनजे 2022(2) रेव पेज 891, आरएलडब्ल्यू 2019(3) राज. पेज 2654, डीएनजे 2020 रेव पेज 221, आरआरडी 2012 एचसी पेज 272 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के रूप में दर्ज है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को दिनांक 03.10.2002 को दिनांक 11.11.2002 के लिए नोटिस जारी किये गये है। दोनों नोटिसों की तामील प्रतिवादी संख्या 3 व 4 पर करवाई गई है। नोटिसों की पुश्त पर प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के हस्ताक्षर है। इस तामील के नीचे तामील कुनिन्दा ने हस्ताक्षर कर दिनांक 29.10.2002 की तिथि अंकित की है। विचारण न्यायालय में दिनांक 11.11.2002 को प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से अमरसिंह चौधरी अधिवक्ता उपस्थित हुये है। इनके द्वारा पृथ्वीसिंह का वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है एवं पवन कुमार का वकालतनामा प्रस्तुत करने के लिए अवसर चाहा गया है। दिनांक 07.07.2004 को प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। स्पष्ट है कि अपीलांट को दिनांक 29.10.2002 से विचाराधीन प्रकरण की जानकारी होना प्रमाणित है। अपीलांट द्वारा 10 वर्ष के असाधारण विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर